

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सिधारी1.5 किग्रा नजायज गाजा ,अवैध कट्टा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंक्त पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ०नि० जाफर खान, उ०नि० बंशराज सिंह (चौकी प्रभारी मूसेपुर) मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में भ्रमणशील होकर ग्राम विश्वकर्मा तिराहे पर मामूर थे कि उसी समय विश्वस सूत्रों से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति एफसीआई गोदाम की तरफ से ओवर ब्रिज की ओर गांजा लेकर आ रहे हैं अपराधी किस्म के हैं मोटरसाइकिल भी चोरी के लिये रहते हैं और साथ में अवैध असलहा भी रखते हैं तत्पश्चात हमराहीगणों को साथ लेकर विश्वकर्मा तिराहे के एफसीआई गोदाम तिराहा ओवर ब्रिज के नीचे के लिये चल दिया गया । एफसीआई गोदाम तिराहा से पहले ओवरब्रिज के नीचे वाहन सरकारी जीप को आड़ में खड़ी कराकर पुलिस टीम आगे बढ़ गयी तभी थोड़ी देर बात एक मोटरसाइकिल दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये कि मुखवीर ने मोटरसाइकिल से आते व्यक्तियों के तरफ इशारा करके बताया कि साहब वही दोनो व्यक्ति हैं । पुलिस टीम हिकमत अमली से एक बारगी घेरकर बिना भागे मौका दिये पकड़ लिया गया । पकड़े व्यक्तियों से क्रमशः नाम पता पूछा गया तो मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति ने अपना नाम डब्लू मद्धेशिया उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता सा० जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष व मोटरसाइकिल पर पिछे बैठा व्यक्ति ने अपना नाम शिवम् चौहान पुत्र सेवक सा० नरेहथा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बताये । मोटरसाइकिल पर लिये झोला के बारे में पूछा गया तो बताये कि इस झोला में गाजा है जिसको हम लोग घुमफिर कर बेच कर अपना अपना जिवकोपार्जन करते हैं । गाजा हम लोगो को धर्मेन्द्र यादव उर्फ उदयी पुत्र रामा उर्फ रामायण यादव सा० गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ कही से लाकर देता है । लाभ में धर्मेन्द्र को हम लोग हिस्सा देते हैं । पकड़े गये व्यक्तियों से झोला लेकर झोला को देखा गया तो एक पालिथीन में लिपटा हुआ को खोलकर देखा व सूँघा गया तो गाजा जैसी गंध आ रही है । गाजा रखने व बेचने का प्रमाण पत्र मागा गया तो दोनो व्यक्ति दिखाने से कासिर रहे । पकड़े गये दोनो व्यक्तियों का क्रमशः जामातलाशी ली गयी तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति डब्लू मद्धेशिया उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता सा० जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पास से एक अदद तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .303 बोर बरामद हुआ, डब्लू मद्धेशिया से तमन्चा व कारतुस रखने सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मागा गया तो नहीं दिखा सका । दोनो अभियुक्तों को आज दिनांक 06.06.2021 समय 09.33 बजे आजमगढ़ से वाराणसी जाने वाली मार्ग ओवरब्रिज के नीचे एफसीआई गोदाम तिराहा बहदग्राम सरफुद्दीनपुर के पास गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. शिवम् चौहान पुत्र सेवक चौहान सा० नरेहथा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. डब्लू मद्धेशिया उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता सा० जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. 1.5 किग्रा गाजा नाजायज
2. एक अदद तमन्चा .303 बोर, एक अदद जिन्दा कारतुस .303 बोर
3. दो अदद मोटरसाइकिल

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स० 117/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु०अ०स० 118/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु०अ०स० 119/2021 धारा 41/411,413,414,419,420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहासअभियुक्त शिवम् चौहान पुत्र सेवक चौहान सा० नरेहथा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०स० 132/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु०अ०स० 117/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु०अ०स० 119/21 धारा 41/411,413,414,419,420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु०अ०स० 164/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

अभियुक्त डब्लू मद्धेशिया उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता सा० जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०स० 103/14 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु०अ०स० 142/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु०अ०स० 209/19 धारा 41/307/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु०अ०स० 211/19 धारा 307 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

5. मु0अ0स0 117/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0स0 118/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
7. मु0अ0स0 119/21 धारा 41/411,413,414,419,420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 बंशराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4. का0 अनिल कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 अशोक कुमार थान सिधारी आजमगढ़
6. हे0का0 सन्तोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
7. का0 अजय गोड़ थाना सिधारी आजमगढ़
8. रि0का0 रतन सिंह थाना सिधारी आजमगढ़ ।

थाना गम्भीरपुर

1.5 किलो नाजायज गाँजा व फर्जी नम्बर प्लेट मोटर साईकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति गाँजा लेकर भवतर की तरफ से आ रहा है तो जल्दी किया जाये तो रोहुआ मोड पर पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम तत्काल रोहुआ मोड पर पहुची व संदिग्ध व्यक्ति व वाहनो की चेकिंग की जाने लगी तभी भवतर की तरफ से सफेद रंग की अपाची मो0सा0 से आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रोका गया तो पुलिस टीम को देखकर मौके से भागना चाहा कि वही पर हमराही कर्मचारीगण के मदद से पकड लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कमरान उर्फ बन्नू पुत्र नसीम साकिन मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 1.5 किलो नाजायज गाँजा बरामद हुआ। वाहन के नम्बर प्लेट पर UP 50 AL 0307 अंकित है ई-चालान एप से सर्च करने पर अयाज पुत्र फैयाज ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ के नाम सुपर स्पेलेन्डर पंजीकृत होना दर्शा रहा है। वाहन के चेचिस नं0 MD634KE67E2K71586 को ई-चालान एप पर सर्च किया गया तो वाहन का नम्बर UP50AL0397 नम्बर पंजीकृत होना पाया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 111/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कमरान उर्फ बन्नू पुत्र नसीम साकिन मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. 1.5 किलो नाजायज गाँजा
2. सफेद रंग की अपाची मोटरसाईकिल

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 111/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़
 उ.नि. अमरनाथ यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
 का0 अतुल कुमार शुक्ला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
 का0 पवन कुमार निर्मल थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
 का0 राजेन्द्र कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में व0उ0नि0 केशर यादव मय हमराह का0 राहुल सिंह , पी आर वी वाहन 1042 के कर्म0गण हे0 का0 सुरेश प्रसाद,का0 राम कुमार सिंह मय पी आर वी वाहन मय चालक हे0 का0 जितेन्द्र कुमार के रवाना शुदा रो0 आम तारिखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति/वाहन लाक डाउन के पालन में आज दिनांक 06.06.2021 को समय 08.55 बजे सोहरैया

से अभियुक्त मुसम्मि कपिलमुनि पुत्र स्व0 राम निहोर निवासी सोहरैया थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 153/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कपिलमुनि पुत्र स्व0 राम निहोर निवासी सोहरैया थाना जीयनपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 153/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 राहुल सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. PRV 1042 हे0 का0 सुरेश प्रसाद
4. PRV 1042 का0 राम कुमार सिंह
5. PRV 1042 चालक हे0 का0 जितेन्द्र कुमार

थाना- जीयनपुर

छपरा सुल्तानपुर रोड जाम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 05/06.06.2021 को निरीक्षक अपराध दिनेश यादव मय हमराह थाना हाजा से स्वाना होकर देखभाल क्षेत्र करते हुए रात्रि गस्त ग्राम अल्लीपुर पारी पट्टी भरौली लुचुई तथा अंजान शहीद किया गया , बाद गस्त मु0अ0सं0 118/21 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/353/332/333/307/ 308/427 भादवि0 व 7 CL Act के वांछित अभियुक्तगणों के घर दविश हेतु ग्राम छपरा सुल्तानपुर पहुंचे कि मुखबीर खास ने सूचना दिया कि अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ बबलू उर्फ बादशाह अपने घर के पास मौजूद है कि सूचना पर नि0 अपराध मय हमराह मय मुखबीर खास के अभियुक्त विनोद उपरोक्त के घर के थोड़ा पहले पहुंचे तो मुखबीर खास ने इशारे से बताया गया कि सामने वाले घर के पास खड़ा व्यक्ति विनोद कुमार उर्फ बबलू उर्फ बादशाह है कि पुलिस टीम अचानक से खड़े व्यक्ति के पास पहुंची तो हडवडा कर भागना चाहा कि पुलिस टीम ने पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता व भगाने का कारण पुछा गया तो अपना नाम विनोद कुमार उर्फ बबलू पुत्र सतई राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताते हुए बताया कि साहब छपरा सुल्तानपुर में जो रोड जाम हुआ था उसमें मैं भी था तथा मेरे विरुद्ध थाना जीयनपुर में मुकदमा लिखा है पुलिस मुझे तलाश कर रही है मैं लुक छिप कर रह रहा था कि पता नहीं आप लोग अचानक से मेरे पास पहुंच गये मे घबराकर भागना चाहा कि आप लोगो ने पकड़ लिया। कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 06.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद कुमार उर्फ बबलू पुत्र सतई राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-118/21 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/353/ 332/333/ 307/308/427 भादवि0 व 7 CLA Act

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी0 अपराध दिनेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रमोद यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

तीन कुन्तल गो माँस व 01 अदद तराजू, बाट, चाकू -03 अदद, दाव- 02 अदद, कुल्हाड़ी -01 , लकड़ी का ठेहा - 01 अदद

बरामद

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र , उ0नि0 विजय नाराजय त्रिपाठी , उ0नि0 श्री विजय प्रताप सिंह , उ0नि0 रामप्रकाश सिंह मय हमराहीगण द्वारा इन्तेयाज पुत्र स्व0 शमसुलहक ग्राम कस्बा जहानागंज चौक बागीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के घर से तीन कुन्तल गो माँस व 01 अदद तराजू , बाट 01 किलो के 02 अदद , 02 किलो के 02 अदद , 500 ग्राम का 01 अदद , 200 ग्राम का 01 अदद , चाकू -03 अदद , दाव- 02 अदद , कुल्हाड़ी -01 , लकड़ी का ठेहा - 01 अदद , माँस रखने व बेचने के लिए काली पालिथीन बरामद कर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/5/8(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम बनाम 1. इन्तेयाज पुत्र स्व0 शमसुलहक 2. झिनक पुत्र स्व0 शमसुलहक 3. मन्नू पुत्र स्व0 शमसुलहक 4. अरशद पुत्र

स्व0 शमसुलहक 5. कमरुद्दीन पुत्र स्व0 शमसुलहक ग्राम कस्बा जहानागंज चौक बागीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 श्री मनीष कुमार उपाध्याय द्वारा प्रचलित है।

बरामदगी-

तीन कुन्तल गो माँस व 01 अदद तराजू , बाट 01 किलो के 02 अदद , 02 किलो के 02 अदद , 500 ग्राम का 01 अदद , 200 ग्राम का 01 अदद , चाकू -03 अदद , दाव- 02 अदद , कुल्हाड़ी -01 , लकड़ी का ठेहा - 01 अदद , माँस रखने व बेचने के लिए काली पालिथीन बरामद। बरामद माँस को गढ़डा खोदवाकर ढकवाया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/5/8(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम

फरार अभियुक्तगण -

1. इम्तेयाज पुत्र स्व0 शमसुलहक
2. झिनक पुत्र स्व0 शमसुलहक
3. मन्नू पुत्र स्व0 शमसुलहक
4. अरशद पुत्र स्व0 शमसुलहक
5. कमरुद्दीन पुत्र स्व0 शमसुलहक

निवासीगण- कस्बा जहानागंज चौक बागीचा थाना- जहानागंज जनपद -आजमगढ़

6. 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात

अनावरण करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र
2. उ0नि0 विजय नराजय त्रिपाठी
3. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
4. उ0नि0 रामप्रकाश सिंह मय हमराहीगण

थाना सरायमीर

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधीयो व वाँछितो की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2021 को मु0अ0सं0 77/21 धारा 120बी/366/368 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र मुख्तार निवासी बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ 2. इसराइल पुत्र अज्ञात निवासी बनगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.10 बजे अभियुक्तगणो के घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 77/21 धारा 120बी/366/368 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नसीम पुत्र मुख्तार निवासी बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. इसराइल पुत्र अज्ञात निवासी बनगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामप्रसाद यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
2. उ0 नि0 श्री श्याम सिंह यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
3. हे0का0 दिलीप कुमार यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
4. हे0का0 हरवंश सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
5. का0 रविन्द्र कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
6. का0 आशुतोष कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
7. का0 विकाश प्रजापति थाना सरायमीर आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल

41 व्यक्तियों के विरूद्ध 151

सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।